कार्यालय परियोजना अधिकारी,एकीकृत बाल विकास परियोजना तमनार, जिला–रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं के रिक्त पद पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना

क्रमांक / 955 / स्था / बा.वि.परि. / 2026–27 तमनार, दिनांक 23.11.2026

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में नाम के सम्मुख संख्या में रिक्त आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पद में नियुक्ति के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जाना है । नियुक्ति हेतु इच्छुक आवेदिकाओं से आवेदन पत्र दिनांक **26.11.2026 से 10.12.2026** तक ऑनलाईन पोर्टल **https://aww.e-bharti.in** में ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। आवेदन के समस्त प्रक्रिया ई–भर्ती पोर्टल के **user manual** में दर्शित है, जिसका उपयोग करके आवेदन किया जा सकता है, निर्धारित तिथि के बाद परियोजना कार्यालय या डॉक से प्रषित आवेदनों को स्वीकार नही किया जायेगा। रिक्त पदो की सूची निम्नानुसार है–

क.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	केन्द्र का नाम	पद का नाम	रिक्त पद की संख्या
1	तमनार	तमनार	साहूपारा तमनार	सहायिका	1

आवेदन किये जाने हेतु निम्नानुसार अर्हताएँ हैः–

1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद केवल महिलाओं के लिए ही होंगे ।
2. आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता / सहायिका / सह सहायिका / संगठिका को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जावेगी) आयु की गणना आवेदन आमंत्रित करने की सूचना जारी होने की तिथि से की जावेगी । आयु के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र एवं मान्यता प्राप्त संस्थान / बोर्ड की अंकसूची ही मान्य की जावेगी ।
3. जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है आवेदिका उसी ग्राम की स्थानीय निवासी होनी चाहिए । आवेदन पत्र के साथ निवास के संबंध में निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज संलग्न किया जावेगा :–

   (क) उस ग्राम / नगरीय क्षेत्र की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावे ।

   अथवा

   (ख) संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों में की जाने वाली नियुक्ति में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत् रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो ।

   टीपः– यदि किसी आवेदक के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस आवेदक के निवास के सत्यापन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास संबंधी प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
4. अनुसूचित जाति / जनजाति के आवेदिकाओं द्वारा आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया वैध जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने पर पृथक से अंक की पात्रता होगी ।
5. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका के पद पर चयन में विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओ को मूल्यांकन में अतिरिक्त अंक का प्रावधान है । इस हेतु परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर संबंधित आवेदिका को आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा ।

   स्पष्टीकरणः– (क) परित्यक्ता के संबंध में निम्न में से कोई एक प्रमाण पत्र मान्य होगा–

   1. संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र / नगर पंचायत के अध्यक्ष तथा नगर निगम / नगर पालिका क्षेत्र मे वार्ड के पार्षद द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया हो तो उसे प्रस्तुत किया जावें ।

   अथवा

   2. न्यायालय द्वारा जारी तत्संबंधी आदेश ।

   (ख) तलाकशुदा महिला होने के संबंध में न्यायालयीन आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।

   (ग) यदि शासन से किसी प्रकार के आर्थिक सहायता / पेंशन प्राप्त की जा रही है तो उसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है ।

   (घ) परित्यक्ता महिला के संबंध में 02 वर्ष से अधिक की अवधि को ही मान्य किया जावेगा ।
6. पूर्व से अनुभवी कार्यकर्ता, सहायिका से आशय राज्य शासन की किसी योजना परियोजना अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र / बालबाड़ी / झूलाघर / अतिरिक्त पूरक पोषण आहार वितरण केन्द्र / शहरी विशेष पोषण आहार वितरण केन्द्र / शिशु शिक्षा केन्द्र में कार्य करने के अनुभवी कार्यकर्ता / सहायिका से है । इनके कार्य के अनुभव हेतु उनके नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा । अनुभव के अंक 01 वर्ष या उससे अधिक वर्ष का अनुभव होने पर ही प्रदाय किया जावेगा।
7. **ग्रामीण क्षेत्र** में आर्थिक सामाजिक एवं जाति जनगणना 2011 के अंतर्गत (i) स्वतः शामिल तथा (ii) वंचन सूचकांक के अंतर्गत आने पर ही निर्धारित अंक प्रदाय किया जावेगा । इस संबंध में केवल सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। प्रमाण पत्र में सूचकांक का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है ।
8. **शहरी क्षेत्र की** आवेदिका के गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार की सदस्य होने पर परिवार के मुखिया के नाम से जारी प्रभावशील गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र एवं राशन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करे जो वर्तमान में प्रभावशील है जिसमें गरीबी रेखा सर्वे क्रमांक तथा आवेदिका का नाम अंकित होना अनिवार्य होगा ।
9. आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए :–

   आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु – 08 वीं उत्तीर्ण

टीपः— कक्षा 08 वीं के अंकसूची हेतु प्राप्तांक अंको का विवरण होना अनिवार्य है। ग्रेड वाली अंक सूची हाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित अंको का विवरण संलग्न करना अनिवार्य है प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न नही करने पर ग्रेड वाली अंक सूची में अंक का उल्लेख नही होने पर अंक प्रदाय नही किया जायेगा। उपरोक्त पदों हेतु उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता वाली कोई आवेदिका न मिलने पर शासन के नियमानुसार शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता दी जावेगी ।

11. अनुसूचित जाति/ जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में 8 वीं तक अध्ययन करने वाली आवेदिका को पृथक से अंक की पात्रता होगी । सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिर्वाय है।
12. अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका/सह सहायिका होने पर, प्रभावशील गरीबी रेखा सूची में शामिल परिवार के सदस्य होने पर, अनुसूचित जाति /जनजाति परिवार की महिला होने पर तथा विधवा, परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर नियुक्ति निर्देश के अनुसार अतिरिक्त अंक दिये जावेंगे ।
13. ऑनलाईन आवेदन करते समय पात्रतानुसार समस्त अभिलेख/प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा । **आवेदन जमा होने के अंतिम तिथि पश्चात् किसी भी प्रकार का अभिलेख/प्रमाण पत्र स्वीकार नही किया जावेगा**। दावा आपत्ति में नवीन दस्तावेज स्वीकार नही किया जायेगा।
14. नियुक्ति की सम्पूर्ण प्रक्रिया छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक/728/1098/2008/मबावि./50 रायपुर दिनांक 02.04.2008 एवं समय–समय पर इस निर्देश में हुए संशोधन के तहत की जावेगी ।
15. आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने की नियत तिथि 26.11.2026 **से** 10.12.2026 तक ऑनलाईन पोर्टल **https://aww.e-bharti.in** में ऑनलाईन आवेदन किया जाना है। ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नही किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार अर्हता रखने वाले इच्छुक आवेदिका रिक्त पद हेतु आवेदन कर सकते हैं आंगनबाड़ी सहायिका का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है । इन्हें केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय एवं अतिरिक्त मानदेय की पात्रता होगी।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
तमनार जिला–रायगढ़(छ.ग.)

पृ.क./956/स्था/बा.वि.परि./2026–27 तमनार, दिनांक 23.11.2026

1. जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास रायगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. जन संपर्क विभाग रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तमनार जिला–रायगढ़(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं सूचना पत्र की अतिरिक्त प्रति संलग्न कर लेख है, कि उक्त सूचना पत्र को आपके कार्यालय के सूचना पटल में चस्पा कराने एवं संबंधित ग्राम में मुनादी के माध्यम से प्रचार प्रसार कराने का कष्ट करेंगे ।
4. सरपंच/ सचिव ग्राम पंचायत तमनार की ओर सादर सूचनार्थ ।
5. संबंधित पर्यवेक्षक, एकीकृत बाल विकास परियोजना तमनार जिला–रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
तमनार जिला–रायगढ़(छ.ग.)

त्रयोदश प्राथमिकता	अनुसूचित जाति/जनजाति + गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर वाला परिवार।
चतुर्दश प्राथमिकता	गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार
पंचदशप्राथमिकता	अनुसूचित जाति/जनजाति

टीपः– 1) यदि विधवा एवं परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा दोनो ही श्रेणी की महिला एक सा आती है तो निर्विवाद रूप से विधवा महिला को प्राथमिकता दी जावेगी।

2) यदि अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवेदिकाओं के अंक समान हों तो यदि संबंधित आंगनवाड़ी केन्द्र अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र है तो अनुसूचित जाति की आवेदिका का तथा यदि संबंधित आंगनवाड़ी केन्द्र अनुसूचित जनजाति बहुल क्षे है तो अनुसूचित जनजाति की आवेदिका का चयन किया जावेगा।

5. आंगनवाड़ी सहायिकाओं हेतु मूल्यांकन :–

आंगनवाड़ी सहायिकाओं के चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान उपरांत नियुक्ति हेतु प्राविधिक मूल्यांकन पत्रक तैयार किया जावेगा। मूल्यांकन प्रपत्र निम्नानुसार मूल्यांकन किया जावेगा।

क.	योग्यता	प्रदान किये जाने वाले अंक	कुल अधिकत प्राप्तांक
1	आठवीं उत्तीर्ण अथवा उपरोक्तानुसार आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर निर्धारित की गई शैक्षणिक योग्यता	कुल प्राप्त अंकों के प्रतिशत के 60 प्रतिशत अंक के बराबर अंक	60
2	विधवा अथवा कम से कम दो वर्ष से अधिक समय तक परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा होने पर	15 अंक	15
3	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की महिला होने पर	10 अंक	10
4	पूर्व से कार्यरत अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका/ सहसहायिका होने पर (देखें स्पष्टीकरण)	1 वर्ष या उससे अधिक के अनुभव पर 6 अंक	06
5	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला होने पर (प्रभावशील सूची से)	6 अंक	06
6	अनुसूचित जाति/जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में आठवीं तक अध्ययन करने पर	3 अंक	03
	योग अधिकतम प्राप्तांक		**100 अंक**